संजय उइके विरूद्ध सुकरती बाई एवं अन्य

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक निग0 2491-दो / 14 जिला – मंडला

तथा	कार्यवाही तथा आदे	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
1.8.14	प्रकरण का अवलोकन किया एवं आवेदक अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता के बिंदु पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया एवं आलोच्य आदेश का अवलोकन किया । अपर कलेक्टर के आलोच्य आदेश को देखने से स्पष्ट है कि उन्होंने अपील के शीर्ष को संशोधित किया है और स्थगन के संबंध में सुविधा संतुलन आवेदक के पक्ष में न पाए जाने के कारण स्थगन आवेदन निरस्त किया है तथा अनावेदकों को तलब करने के आदेश दिए हैं । स्थगन देना या न देना अधीनस्थ न्यायालय के विवेक पर निर्भर करता है । इस प्रकरण में आवेदक की ओर से ऐसा कोई ठोस आधार या तथ्य प्रस्तुत नहीं किये गये हैं जिसके आधार पर उसको स्थगन दिया जा सके । दर्शित स्थिति में यह निगरानी अग्राह्य की जाती है । आवेदक सूचित हों । प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो । (एम.के.सिंह) सदस्य, राजस्व मंडल, म.प्र.,ग्वालियर	

COURT FEE 20 Rs. भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES CANCELLED

COURT FEE 20 Rs. भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES CANCELLED

समक्ष माननीय न्यायालय राजस्व मंडल म.प्र ग्वालियर,जबलपुर

रिवीजन याचिका क्रमांक–2491-/पो./2013–14

रजनीश जैन
अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत
स्तुतकार ....
16 JUL 2014
अधीक्षक
कार्यालय कमिश्नर, जबलपुर संभाग

अपीलार्थी / अनावेदक ..... संजय उइके आत्मज उदयराम जी उइके
उम्र– 45 वर्ष, साकिन– गोरखपुर, जबलपुर
जिला– जबलपुर (म.प्र.)

–: विरूद्ध :–

प्रतिप्रार्थीगण / आवेदिका. 1. सुकरती बाई पत्नि स्व. श्री जयराम, जाति–गौड
उमं 45 वर्ष, साकिन– ताकबेली, चौकी मनेरी,
सर्किल–निवास, तहसील निवास, जिला–मंडला

प्रतिप्रार्थीगण / अनावेदक 2. सूनील जैन आत्मज अनूप चंद जैन, आयु 50 वर्ष
निवासी–मेन रोड गोरखपुर, जबलपुर
जिला–जबलपुर (म.प्र.)

3. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)
निवास, जिला– मंडला (म.प्र.)

4. अपर कलेक्टर मण्डला (म.प्र.)

18